कार्यालय : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ (म.प्र.)

//परिपत्र//

क्रमांक 35/2024 टीकमगढ़, दिनांक **03.07.2024**

मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 16 दिसम्बर, 2022 को प्रकाशन अनुसार मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय नियम, 1961 के अध्याय 30 में नियम 594 के लिए निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किये गये हैं :—

594. न्यायिक अधिकारियों हेतु गणवेश —

(1) सभी पुरूष न्यायिक अधिकारीगण प्लेन सफेद कॉलर वाली कमीज (शर्ट), सफेद बैण्ड, प्लेन काला कोट या प्लेन काला बटन वाला कोट, बैरिस्टर स्ट्रिप्ट (बार एट लॉ) अथवा प्लेन काली या प्लेन सफेद पतलून, काला गाउन और काले जूते मौजे पहनेंगे।

(2) सभी महिला न्यायिक अधिकारीगण सफेद कॉलर वाले ब्लाउज के साथ प्लेन सफेद साड़ी या सफेद कॉलर वाली कमीज के साथ सफेद बैण्ड व प्लेन सफेद सलवार, प्लेन काला कोट, काला गाउन और काले जूते मौजे या काले रंग की अन्य पादुकायें (फुटवियर) पहनेंगी। यदि ब्लाउज या कमीज बिना कॉलर वाली हो तो, वे प्लेन सफेद कॉलर के साथ सफेद बैण्ड पहनेंगी।

यह उल्लेखनीय है कि **मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 16 दिसम्बर, 2022 की प्रति पूर्व में कार्यालय परिपत्र दिनांकित 12.01.2023 द्वारा** सभी न्यायिक अधिकारियों की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित की गई थी कि उक्त निर्देशानुसार न्यायिक अधिकारी गणवेश पहना जाना सुनिश्चित करेंगे किंतु जैसा कि मुझे विदित हुआ है एवं यह देखने में आया है कि **कुछ न्यायिक अधिकारी, न्यायासन पर बैठने के दौरान बिना गणवेश के बैठे रहते हैं**, जो कि नियमों के अनुरूप नहीं है एवं निर्देशों का उल्लंघन है।

अतः इस परिपत्र के माध्यम से पुनः मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 16 दिसम्बर, 2022 की प्रति इस निर्देश के साथ प्रेषित की जा रही है कि सभी न्यायिक अधिकारी उक्त निर्देशानुसार गणवेश पहना जाना सुनिश्चित करेंगे।

संलग्न :— उपरोक्तानुसार।

(हितेन्द्र सिंह सिसोदिया)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
टीकमगढ़ (म.प्र.)

(1-3)
पृष्ठांकन क्रमांक 1795/2024 टीकमगढ़, दिनांक **03.07.2024**

प्रतिलिपि :—

1. **समस्त न्यायिक अधिकारीगण, टीकमगढ़, जतारा, निवाड़ी एवं ओरछा** की ओर परिपत्र की प्रति सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
2. स्टेनोग्राफर, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ की ओर परिपत्र की प्रति माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के समक्ष रखे जाने हेतु प्रेषित।
3. संबंधित लिपिक/जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ की ओर परिपत्र की प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(हितेन्द्र सिंह सिसोदिया)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
टीकमगढ़ (म.प्र.)